मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

की

विभिन्न योजनाओं में लाटरी पद्धति

से

भवन, फ्लैटस्, डुप्लेक्स/विलॉज प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तों

की

विवरण पुस्तिका

पंजीकरण अवधि : दिनांक 15–06–2020 से 14–08–2020 तक।

विवरण पुस्तिका मूल्य रूपये 50/– मात्र।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की आवासीय योजनाओं में "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर पूर्व में निर्मित उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैटस प्राप्त करने की <u>नियम एवं शर्तों का विवरण</u>–

1. योजना का नाम–

योजनाओं के नाम रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

2. योजना का कोड़–

योजना के कोड रिक्त सम्पत्तियों की विवरण तालिका में उल्लिखित है।

3. विशेष आकर्षण–

3.10 क–सड़क, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत एवम् जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त।

ख–सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण से परिपूर्ण।

3.20 अत्यन्त सरलीकरण आवंटन प्रक्रिया।

3.30 योजना का लाभ दिनांक 15–07–2020 से 14–08–2020 तक।

4. ग्राह्यता (पात्रता)–

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक वयस्क हो अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के नाम से मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिए। यदि सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् आवेदक के पक्ष में पहले उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति पायी जाती है तो आवेदक का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

4.40 मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों ने पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा। यदि भविष्य में किसी आवेदक को एक से अधिक सम्पत्ति का आवंटन हो जाता है तो आवेदन को स्वेच्छा से किसी एक आवण्टित सम्पत्ति को छोड़कर शेष को सरेण्डर करना होगा।

4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजनाओं में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.60 आवेदन प्रस्तुत करते समय **अल्प आय वर्ग श्रेणी के आवेदक की वार्षिक** आय 3,01,000/– से कम तथा अधिकतम् 6,00,000/– रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाएं जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

4.70 आवेदन प्रस्तुत करते समय **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के आवेदकों की वार्षिक आय 3,00,000/– रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए**। आवेदक को अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आय के प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी जिसके संलग्न न पाये जाने अथवा निर्धारित आय सीमा से अधिक आय का प्रमाण पत्र पाएं जाने पर पंजीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

5. आवेदन कैसे करें–

5.10 आवेदन–पत्र केवल निर्धारित प्रारूप–पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रूपये 10/– का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को भवन/फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के आवेदकों को भवन/फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, अथवा पे–आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो अथवा पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

5.20 *आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित यथा विज्ञापित निर्धारित उस बैंक में जमा करना होगा, जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।*

5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति–पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी।

(पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित है।)

आवेदन पत्र निम्नलिखित बैंक से निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके, इन्हीं बैंकों में निर्धारित तिथि तक जमा किये जा सकते हैं:–

इलाहाबाद बैंक, मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर, मेरठ।

6. आवंटन प्रक्रिया–

6.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित आवेदकों के समक्ष मैनुअली प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भवन/फ्लैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन/फ्लैट विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

1. 6.20 आवेदक के पक्ष में जिस **भवन, विलॉज, फ्लैट** का आवंटन होगा, उस **भवन, विलॉज, फ्लैट** की वास्तविक कीमत के सापेक्ष जमा पंजीकरण धनराशि का समायोजन किया जायेगा। प्रत्येक **भवन, विलॉज, फ्लैट** का मूल्य प्राधिकरण की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

6.30 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।

6.40 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.50 प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड/लीज टाईटल के साथ आवंटित **भवन, विलॉज, फ्लैट** का "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

6.60 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

6.70 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 05 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

6.80 आवंटी को **भवन, विलॉज, फ्लैट** के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा **भवन, विलॉज, फ्लैट** का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

6.90 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण **भवन, विलॉज, फ्लैट** देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित **भवन, विलॉज, फ्लैट** नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. आरक्षण कोटा–

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

क्र0सं.	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05	08 07
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर	05	

	चुके हो रक्षा कर्मी सरकारी कर्मी		 05 06
6.	उ0प्र0 आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उ0प्र0विकास प्राधिकरण कर्मचारी उ0प्र0नगर निगम कर्मचारी उ0प्र0जल संस्थान कर्मचारी उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	02	 09 11 12 13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल व उनके आश्रित	03	14

7.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत होरिजेन्टल विकलांग श्रेणी के **भवन/फ्लैट** के लाटरी ड्रा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित (Visually Impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन/फ्लैट आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदको को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक है। **सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।**

7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वें कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो आवंटन समान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

7.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8 भुगतान प्रक्रिया–

शासन द्वारा जारी सं0 72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014 दिनाँक 12 दिसम्बर, 2014 के अनुसार सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् भवन, विलॉज के आवंटियों को सम्पत्ति में निहित भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि तथा फ्लैटस् के आवंटियों को फ्लैटस् में निहित भूमि मूल्य का नियमानुसार देय 10 प्रतिशत लीजरैन्ट की धनराशि कीमत में शामिल करके किश्तों में ली जायेगी।

8.10 **उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भवन, विलॉज, फ्लैटस्** की कीमत में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 03 वर्ष की 12 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि

व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.20 **मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन, फ्लैटस् की कीमत** में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 10.50 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 05 वर्ष की 20 तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 14 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.30 **दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के फ्लैट की कीमत** में जमा पंजीकरण व आवंटन धनराशि को घटाकर शेष धनराशि 9.50 वार्षिक दर से ब्याज के साथ 05 वर्ष की 20 समान तिमाही किश्तों में देय होगा। तिमाही किश्तों में देय होगी। विलम्ब अवधि के लिये 13 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.40 पूर्व में निर्मित भवनों/फ्लैटस् को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है। तालिका में उल्लिखित **भवन/फ्लैट** अर्द्धनिर्मित है, जिनमें जो भी कार्य किया जाना शेष है, वह सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् आवंटियों को स्वयं अपने खर्च पर पूर्ण कराना होगा। यदि किसी भवन/फ्लैट में अतिरिक्त भूमि पायी जाती है तो उसका नियमानुसार मूल्य आवंटी द्वारा देय होगा। किन्तु पंजीकरण हेतु प्रकाशित विवरण तालिका में पंजीकरण हेतु मानक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि का उल्लेख किया गया है जो कमी–बेशी के आधार पर भवन/फ्लैट के वास्तविक मूल्य में समायोजित किया जायेगा।

8.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

8.60 **यदि आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर आवंटी द्वारा भवन/फ्लैट की सम्पूर्ण कीमत अदा कर दी जाती है तो कीमत पर 2 (दो) प्रतिशत की छूट देय होगी।**

9. पैनल ब्याज–

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो बिलम्ब अवधि के लिये दुर्बल आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 13 प्रतिशत, अल्प आय वर्ग व मिनी मध्यम आय वर्ग श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 14 प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग उच्च श्रेणी की सम्पत्ति के लिये 15 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। भवन/फ्लैट की किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम् 2 किश्तों की अदायगी समय से न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कब्जा–

पूर्व में निर्मित भवनों, विलॉज, फ्लैटस् को "जहाँ है, जैसा है", के आधार पर विज्ञापित किया जा रहा है जिनके आवंटन पश्चात् आवंटी को प्राथमिक स्टेज पर भवन, विलॉज, फ्लैटस् की कीमत का न्यूनतम् 40 प्रतिशत धनराशि एवं नियमानुसार पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए तथा यदि आवेदक किश्तों के चलते रहते कब्जा प्राप्त करना चाहे तो सम्पत्ति मूल्य का न्यूनतम् 40 प्रतिशत धनराशि व कब्जा प्राप्ति तक की देय किश्तें अद्यतन् जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण

द्वारा आवंटित भवन/फ्लैट का "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन कराने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। कब्जा अनुबन्ध के निबन्धन के समय देय लिखाई–पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

10.10 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय–समय पर करना होगा।

10.20 सम्पत्ति के आवंटन पश्चात् समय–समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों/ नियमों–उपनियमों आदि का अनुपालन आवंटी द्वारा करना होगा।

10.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर लेगा।

10.40 यदि आवंटी द्वारा, विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लिया जाता है तो नियमानुसार रूपये 500/– प्रति माह की दर से आवंटी द्वारा चौकीदारा शुल्क देना होगा।

11 निबन्धन प्रक्रिया–

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज का सम्पूर्ण मूल्य, नियमानुसार देय पानी सीवर मद में देय धनराशि एवं देय दस्तावेज शुल्क आदि जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प डयूटी, आवंटी द्वारा वहन करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित भवन का "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" का पंजीयन किया जायेगा। विलेख के निबन्धन के समय देय लिखाई–पढ़ाई का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा। यदि भवन/फ्लैट का विलेख कराने से पूर्व "कब्जा अनुबन्ध" का पंजीयन आवंटी द्वारा कराया गया है तो कब्जा अनुबन्ध के समय वहन की स्टाम्प डयूटी को नियमानुसार "विक्रय विलेख"/"फ्लैट में निहित भूमि के बावत् पट्टा विलेख एवं भवन स्ट्रक्चर का विक्रय विलेख" निष्पादन के समय देय स्टाम्प डयूटी में समायोजित किया जायेगा।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी–

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:–

(अ) लाटरी से आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 15 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 05 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि **भवन/फ्लैट** का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ–साथ **भवन/फ्लैट** के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो

मी तिथि पहली होगी तक देय किश्तों में से टूटती किश्तों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया–

'पूर्व में निर्मित भवन, विलॉज, फ्लैट का आवंटन, दो या दो से अधिक किश्तों की दयेता पर निरस्त हो जाने पर, यदि आवेदक 'पूर्व में निर्मित भवन/फ्लैट के आवंटन को पुनर्जीवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से दो माह के अन्दर कराना चाहे तो भवन/फ्लैट के आवंटन की बहाली के दिनांक को लागू नियमों के दृष्टिगत भवन/फ्लैट की बहाली वर्तमान मूल्य पर की जायेगी।

14.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना–

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन/फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. अन्य सूचनायें/शर्तें–

15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होंगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों/नियमों–उप नियमों का अनुपालन करना होगा।

15.20 प्राधिकरण की किसी भी योजना में किसी कारणवश अथवा विधि बाध्यता के कारण प्रतिकर की धनराशि में बढ़ोत्तरी की स्थिति में भूखण्ड का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

15.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत–प्रतिशत जब्त करते हुए भवन/फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

15.50 तालिका में उल्लिखित भवनों/फ्लैटस् के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित मा0न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

15.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तो में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

15.80 इस योजना में भवनों/फ्लैटस् की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

15.90 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

पंजीकरण दिनांक 16–07–2020 से 14–08–2020 तक,

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस् के
<u>पंजीकरण हेतु विवरण तालिका</u>

क्र0 स0	योजना का नाम	सैक्टर/ पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन/ फ्लैट की संख्या	अनु0 क्षेत्रफल (व0मी0)	वर्तमान कीमत	पंजीकरण धनराशि 10% (रूपये में)	आरक्षित वर्ग (अनु0 जाति, अनु0 जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग) के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रूपये में)	आवंटन धनराशि 15% (रूपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	पल्लवपुरम फेस–2 (2 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–एल	दुर्बल आय वर्ग	02	23.38	652200	65220	32610	97830
2.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–पी	मिनी मध्यम आय वर्ग	01	105.11	3555000	355500	177750	533250
3.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–ओ	उच्च आय वर्ग	01	180.00	6214500	621450	310725	932175
4.	श्रद्धापुरी फेस–प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–7	अल्प आय वर्ग	12	46.31	1509780	150978	75489	226467
5.	श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ई	अल्प आय वर्ग	14	46.31	1181810	118181	59091	177272
6.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	16	85.81	3361750	336175	168088	504263
7.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	19	85.81	2931150	293115	146558	439673
8.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	20	85.81	2931150	293115	146558	439673
9.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	22	85.81	2931150	293115	146558	439673
10.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–डी	मध्यम आय वर्ग (विला/डुप्लैस भवन)	9	112.50	5636700	563670	281835	845505
11.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–ई	मध्यम आय वर्ग (विला/डुप्लैस भवन)	12	112.50	5626700	562670	281335	844005
12.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के.+स्टडी रूम	6	99.40	2698000	269800	134900	404700

13.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के.+स्टडी रूम	36	99.40	2377000	237700	118850	356550
14.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. टाईप–ए	23	81.15	2336000	233600	116800	350400
15.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच. के. टाईप–ए	68	81.15	1990000	199000	99500	298500
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. +. स्टेडी	10	99.40	2698000	269800	134900	404700
17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. +. स्टेडी	32	99.40	2377000	237700	118850	356550
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	20	81.15	2336000	233600	116800	350400
19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	53	81.15	1990000	199000	99500	298500
20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	21	86.10	2384300	238430	119215	357645
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच. के. टाईप–ए	69	86.10	2186600	218660	109330	327990
22.	शताब्दीनगर, सेक्टर–1 (4 मंजिला फ्लैट)	पॉकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	17	31.33	880000	88000	44000	132000
23.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	उच्च आय वर्ग	02	180.00	3944000	394400	197200	591600
24.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	मध्यम आय वर्ग	08	112.50	2373000	237300	118650	355950
25.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	01	25.61	677200	67720	33860	101580
26.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	09	25.61	596700	59670	29835	89505
27.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	05	25.61	616800	61680	30840	92520
28.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	18	37.79	926400	92640	46320	138960
29.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	784600	78460	39230	117690
30.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	24	37.79	820000	82000	41000	123000
31.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	62	27.98	810100	81010	40505	121515
32.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	63	27.98	712100	71210	35605	106815
33.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	64	27.98	736600	73660	36830	110490
34.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1263200	126320	63160	189480
35.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	58	37.79	1090600	109060	54530	163590
36.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	56	37.79	1090600	109060	54530	163590
37.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	63	37.79	1090600	109060	54530	163590
38.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	02	54.00	724827	72483	36241	108724
39.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एस	अल्प आय वर्ग	04	54.00	724900	72490	36245	108735
40.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	01	54.00	789600	78960	39480	118440

41.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	72	54.00	799500	79950	39975	119925
42.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	14	54.00	864200	86420	43210	129630
43.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	01	54.00	886630	88663	44332	132995
44.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	41	54.00	886700	88670	44335	133005
45.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	03	54.00	951400	95140	47570	142710
46.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट–बी.	3बी.एच.के फ्लेट	8	112.50	3624656	362466	181233	543698
47.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के फ्लेट	24	94.00	3056571	305657	152829	458486
48.	गंगानगर (फ्लैट)	पॉकेट–जे	अल्प आय वर्ग	34	39.75	1270000	127000	63500	190500
49.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट–जे	दुर्बल आय वर्ग	3	28.00	823100	82310	41155	123465
50.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट–जे	दुर्बल आय वर्ग	03	28.00	823100	82310	41155	123465
51.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट–एच	दुर्बल आय वर्ग	6	31.33	865500	86550	43275	129825
52.	योग	1214							

1. प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर विवरण देखा जा सकता है।
2. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

x-x-x-x-x

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रूपये 10/-- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथ पत्र

समक्षः– उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

यह कि मेरा नाम .... पुत्र .... है तथा .... का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग .... वर्ष है। मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँः–

1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।

2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

....

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक : ....

प्रमाणित स्थान– ....

....

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

-x-x-x-x-

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त विलॉज (डुप्लैक्स), भवनों, फ्लैटस का विवरण

क्र0 स0	योजना का नाम	सैक्टर / पाकेट	भवन की श्रेणी	भवन / फ्लैट की संख्या	भवन / फ्लैट संख्या	क्षेत्रफल (व0मी0)	वर्तमान कीमत
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	पल्लवपुरम फेस–2 (2 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–एल	दुर्बल आय वर्ग	**02**	एल / डी–8, 13,	**23.38**	**652200**
2.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–पी	मिनी मध्यम आय वर्ग	**01**	पी–71	**105.11**	**3555000**
3.	पल्लवपुरम फेस–2	पाकेट–ओ	उच्च आय वर्ग	**01**	ओ0एच0–214,	**180.00**	**6214500**
4.	श्रद्धापुरी फेस–प्रथम (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–7	अल्प आय वर्ग	**12**	एफ–11, 12, 16 एस–02, 14, टी–06, 10, 12, 15, 19, 22, 23	**46.31**	**1509780**
5.	श्रद्धापुरी फेस–द्वितीय (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ई	अल्प आय वर्ग	**14**	एफ–11, 12, 24, एस–01, 07, 12, 13, 17, 20, टी–02, 06, 11, 13, 21,	**46.31**	**1181810**
6.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग प्रथम तल	**16**	3ए, 5ए, 6ए., 9ए., 11ए., 13ए., 14ए., 15ए., 16ए., 17ए., 19ए., 20ए., 21ए., 22ए., 23ए., 24ए.,	**85.81**	**3361750**
7.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग द्वितीय तल	**19**	1बी., 2बी., 3बी., 5बी., 9बी., 10बी., 11बी., 13बी., 14बी., 15बी., 16बी., 17बी., 18बी., 19बी, 20बी, 21बी., 22बी., 23बी., 24बी.,	**85.81**	**2931150**
8.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग तृतीय तल	**20**	1सी., 3सी., 4सी., 5सी., 6सी., 7सी., 9सी., 10सी., 11सी., 12सी., 13सी., 14सी., 15सी., 16सी.,17सी., 18सी., 19सी., 20सी., 23सी., 24सी.,	**85.81**	**2931150**
9.	रक्षाग्रीन (रक्षापुरम–प्रथम) (4 मंजिला फ्लैट)	सैक्टर–3	मध्यम आय वर्ग चतुर्थ तल	**22**	1डी., 2डी., 3डी., 4डी., 5डी., 6डी., 7डी., 8डी., 9डी., 10डी., 11डी., 12डी., 13डी., 14डी., 15डी., 16डी., 19डी., 20डी., 21डी., 22डी., 23डी., 24डी.	**85.81**	**2931150**
10.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–डी	मध्यम आय वर्ग (विला / डुप्लैस भवन)	**9**	03, 06, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 20,	**112.50**	**5636700**

11.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव	पाकेट–ई	मध्यम आय वर्ग (विला/डुप्लैस भवन)	12	23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 41, 44, 46,	112.50	5626700
12.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. +स्टडी रूम	6	जी–18, 21, 22, 24, 37, 39,	99.40	2698000
13.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. +स्टडी रूम	36	एफ–13, 15, 17, 18, 22, 40, 42, 43, एस–14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 39, 41, 43, 45, 46, 48, टी–13, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,	99.40	2377000
14.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. टाईप–ए	23	जी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	2336000
15.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–ए.	2बी.एच.के. टाईप–ए	68	एफ–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, एस–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, टी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	1990000
16.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के. +. स्टडी	10	जी–14, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 39, 41, 44,	99.40	2698000
17.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के. +. स्टडी	32	एफ–13, 14, 17, 21, 22, 24, 37, 39, 44, एस–13, 14, 18, 22, 46, 47, टी–13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,	99.40	2377000
18.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के. टाईप–ए	20	जी–01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	81.15	2336000

19.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–बी.	2बी.एच.के. टाईप–ए	**53**	एफ–01, 07, 08, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, एस–01, 02, 04, 08, 09, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, टी–01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,	**81.15**	**1990000**
20.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच.के. टाईप–ए	**21**	जी–1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,	**86.10**	**2384300**
21.	शताब्दीनगर एयरपोर्ट एन्क्लेव (4 मंजिला फ्लैट)	पाकेट–सी.	2बी.एच.के. टाईप–ए	**69**	एफ–02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, एस–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टी–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	**86.10**	**2186600**
22.	शताब्दीनगर, सेक्टर–1 (4 मंजिला फ्लैट)	पॉकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**17**	जी–16, 19, 20 एफ–15, 22, 23, 28 एस–13, 17, 18, 26, 29 टी–11, 16, 17, 22, 29	**31.33**	**880000**
23.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	उच्च आय वर्ग	**02**	ए–41, 43,	**180.00**	**3944000**
24.	शताब्दीनगर (भवन)	4बी/ए	मध्यम आय वर्ग	**08**	ए–75, 78, 83, 84, 85, 87, 91, 117,	**112.50**	**2373000**
25.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**01**	भूतल सी–103,	**25.61**	**677200**
26.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**09**	प्रथम तल सी–74, 98, 137, 159, 181, 76, 91, 92, 88	**25.61**	**596700**
27.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	दुर्बल आय वर्ग	**05**	द्वितीय तल सी–61, 65, 70, 75, 159	**25.61**	**616800**
28.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**18**	भूतल सी–20, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 126, ~~128,~~	**37.79**	**926400**
29.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**24**	प्रथम तल सी–05, 08, 12, 16, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 107, 109, 113,	**37.79**	**784600**

30.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी	अल्प आय वर्ग	**24**	द्वितीय तल सी–02, 06, 21, 22, 35, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 120, 124	**37.79**	**820000**
31.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**62**	भूतल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**810100**
32.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**63**	प्रथम तल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**712100**
33.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	दुर्बल आय वर्ग	**64**	द्वितीय तल सी.पी.–97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,	**27.98**	**736600**
34.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**58**	भूतल सी.पी.–01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 65, 66, 73, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 96,	**37.79**	**1263200**

35.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**58**	प्रथम तल सी.पी.–01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 86, 94, 95, 96	**37.79**	**1090600**
36.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**56**	द्वितीय तल सी.पी.–02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 94, 96	**37.79**	**1090600**
37.	लोहियानगर (फ्लैट)	पाकेट–सी.पी.	अल्प आय वर्ग	**63**	तृतीय तल सी.पी.–01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 57, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,	**37.79**	**1090600**
38.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	**02**	**K-67, 70,**	**54.00**	**724827**
39.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**04**	**M-512, 513, 515, 516,**	**54.00**	**724900**
40.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**01**	**M-511,**	**54.00**	**789600**
41.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**72**	**M-134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428,**	**54.00**	**799500**
42.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**14**	**M-131, 146, 147, 157, 196, 209, 352, 366, 400, 401, 410, 419, 429,**	**54.00**	**864200**

43.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट के	अल्प आय वर्ग	**01**	K-508,	**54.00**	**886630**
44.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**41**	M-175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,	**54.00**	**886700**
45.	लोहियानगर (भवन)	पॉकेट एम	अल्प आय वर्ग	**03**	M-210, 239, 326,	**54.00**	**951400**
46.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट– बी.	3बी.एच. के फ्लैट	**8**	ए–08, ए–102, ए–204, ए–206, ए–207, ए–306, ए–404, ए–405,	**112.50**	**3624656**
47.	सैनिक विहार (फ्लैट)	पाकेट– बी.	2बी.एच. के फ्लैट	**24**	बी–08, सी–403, डी–07, डी–08, डी–305, डी–405, डी–406 ई–105, ई–107, ई–401, ई–406, एफ–06, एफ–08, एफ–107, एफ–203, एफ–204, एफ–205, एफ–206, एफ–307, एफ–404, एफ–405, जी–107, जी–302, जी–405	**94.00**	**3056571**
48.	गंगानगर (फ्लैट)	पॉकेट– जे	अल्प आय वर्ग	**34**	जी–31, 32, एफ–17, 19, 22, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 48, एस–19, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 44, 48, टी–25, 31, 33, 40, 44,	**39.75**	**1270000**
49.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट– जे	दुर्बल आय वर्ग	**3**	एफ–03, 04, 14,	**28.00**	**823100**
50.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट– जे	दुर्बल आय वर्ग	**03**	टी–04, 13, 16	**28.00**	**823100**
51.	गंगानगर (फ्लैट)	पाकेट– एच	दुर्बल आय वर्ग	**6**	एफ–22, टी–01, 08, 13, 14, 20,	**31.33**	**865500**
			योग	**1214**			